न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40 / 2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. जसराम पुत्र रतनलाल
2. झालूराम पुत्र रामखिलाडी
   जाति मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमन पुत्र नानगा जाति मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. राज. सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. डॉ नवनीत कुमार उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय पीठासीन अधिकारी डॉ. नवनीत कुमार आर. ए. एस. प्रकरण उनवानी जसराम आदि बनाम श्रीमन आदि मुकदमा नम्बर 106 / 2024

उपस्थिति : श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 27.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि उनवानी जसराम आदि बनाम श्रीमन आदि एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के समक्ष प्रतिवादी अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 263 खातेदारी प्रार्थी सम्पूर्ण मय अप्रार्थीयान के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 262 लगते हुये की बाबत भी सीमाज्ञान होने तक रेवेन्यू रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने का आदेश फरमाया गया है। पत्रावली वास्ते जवाब बहस में नियत है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आता जाता पाया गया है। पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण [illegible] कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रार्थना पत्र [illegible] के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री [illegible] प्रसाद मीना उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में जसराम आदि बनाम श्रीमन आदि वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 263 एवं 262 लगते हुये की सीमाज्ञान होने तक रेवेन्यू रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने का आदेश फरमाया गया है। पत्रावली वास्ते जवाब / बहस में नियत है। अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आता–जाता पाया गया है तथा खुले इजलास में स्टे खारिज करवाने एवं सीमाज्ञान तक की कोई आवश्यकता ही नही रहेगी की बात कही गई है। प्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी से विश्वास उठ गया है। पीठासीन अधिकारी का रवैया न्याय किये जाने जैसा नहीं रहा है। न्याय का यह सिद्धान्त भी है कि जब पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रहे तो प्रकरण की सुनवाई वहां किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत करने का अनर्गल आरोप लगाया गया है जो निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली के साथ कोई ठोस सबूत भी प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में से आता–जाता पाया गया है, इस प्रकार का झूंठा आरोप लगाकर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की छवि को बिना किसी ठोस आधार के खराब किया गया है। वास्तवकि तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमन ने अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 261 व 262 का सीमाज्ञान दिनांक 10.010.2024 को तहसीलदार सिकराय से कराया था। जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पास में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 257 की तरफ दबी हुई निकली थी। उक्त चरागाह भूमि खसरा नम्बर 257 पर प्रार्थी ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर भी कब्जा कर रखा है। उक्त अवैध कब्ज को बनाये रखने के लिये प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 263 व अप्रार्थी की खातेदारी 262 पर झूंठा सीमा विवाद बताकर दावा कर अधीनस्थ न्यायालय से सीमाज्ञान होने तक रेवेन्यू रिकॉर्ड एवं मौके की स्थित यथावत रखने को आदेश करा लिये है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी भूमि 262 के सीमाज्ञान के बाद पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमे पत्थरगढी के आदेश किये जाने शेष थे पर उक्त खसरा नम्बर पर अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव में है तब तक पत्थरगढी आदि नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय की भी पत्रावली जवाब व बहस में आने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय जल्दी होने की सम्भावना के चलते एवं उक्त भूमि का इसी वर्ष सीमाज्ञान व पत्थरगढी आदि होने से रोकने के लिये प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है। जिससे पत्रावली का फैसला होने मे देरी हो और इस वर्ष का समय भी आसानी से निकल जा[illegible] अनाधिकृत रूप से चरागाह भूमि खसरा नम्बर 257 की भूमि पर कब्जा [illegible] तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने का निर्णय भी पारित किया गया [illegible] इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा केवल प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की गरज से ही यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameshwar Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 40/2025

उप जिला कलक्टर सिकराय से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत है फिर भी यदि पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 106/2024 उनवानी जसराम बनाम श्रीमन में पत्रावली जवाब एवं बहस हेतु नियत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने के उद्देश्य से ही यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना प्रतीत होता है। प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर प्रकरण के निस्तारण में और भी विलम्ब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। उप जिला कलक्टर सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested